प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ0प्र0

पत्रांक 1855 / प्र0अ0–अनु0 / वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक: 10/6/25

इन्दिरा भवन वाहन पार्किंग स्टैण्ड ठेका 03 वर्ष के लिये नीलामी सूचना

नीलामी स्थल : प्राधिकरण सभागार, 'अष्टम तल', इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज

पंजीकरण तिथि : दिनांकः 10.06.2024 से दिनांक 17.06.2024 तक

नीलामी तिथिः दिनांक 22.06.2024 अपरान्ह् 12.30 बजे

स्थल का विवरण	न्यूनतम आरक्षित मूल्य	पंजीकरण धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य (GST सहित)
इन्दिरा भवन स्थित बेसमेन्ट एवं परिसर के चारों ओर (सेटबैक को छोड़कर) वाहन पार्किंग स्टैण्ड।	रू0 26,57,025.00	रू0 2,65,800.00	प्राप्त उच्चतम बोली की 10% धनराशि	रू0 5,900/–

नोटः– समस्त नियम व शर्ते पंजीकरण प्रपत्र में अंकित हैं। प्राधिकरण की वेबसाइट www.pdaprayagraj.org पर उपलब्ध पंजीकरण प्रपत्र पंजीकरण अवधि में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्रभारी अधिकारी–अनुरक्षण कार्यालय से पंजीकरण फार्म क्रय किया जा सकता है। पंजीकरण फार्म हेतु निविदा मूल्य रू0 5,900.00 मात्र (जी0एस0टी0 सहित) यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या–00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू0टी0आर0 स्लिप जमा करना होगा। निर्धारित निविदा मूल्य प्राधिकरण खाते में व पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित समय तक प्राप्त न होने की स्थिति में नीलामी में प्रतिभाग करने की अनुमति नही होगी एवं इस सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

10/6/24

प्रभारी अधिकारी–अनुरक्षण,
प्रयागराज विकास प्राधिकरण,
प्रयागराज।

नियम व शर्ते

1. इन्दिरा भवन वाहन पार्किग स्टैण्ड के ठेके की नीलामी 03 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। ठेका अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार का कब्जा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
2. 03 वर्षीय ठेके हेतु प्रथम वर्ष सर्वोच्च बोली दर एवं दूसरे वर्ष हेतु सर्वोच्च बोली दर में 05 प्रतिशत की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष हेतु दूसरे वर्ष की आंकलित धनराशि पर 05 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा भी 05प्रतिशत पार्किग शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी।
3. नीलामीदाता को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा, पंजीकरण अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. नीलामीदाता को पार्किग संचालन (सरकारी/गैर सरकारी) का न्यूनतम 03 वर्ष (कम से कम 100 गाड़ियों के संचालन) का अनुभव होना अनिवार्य है। विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
5. पार्किग स्थल हेतु उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली(दर) के अनुसार कुल मूल्य की 40% धनराशि सक्षम स्तर से नीलामी स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण की धनराशि समायोजित हो जायेगी।
6. पार्किग स्थल हेतु उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली(दर) के अनुसार कुल मूल्य की 10% जमानत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करते हुए नियमानुसार अनुबन्ध सम्पादित कराना होगा। अनुबन्ध सम्पादित कराने में होने वाला व्यय एवं स्टाम्प आदि ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन करना होगा। जमानत धनराशि प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पर्किग संचालन की सम्पूर्ण अवधि तक जमा रहेगी तथा संचालन अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी व्याज के वापस की जायेगी। प्रश्नगत जमानत धनराशि नीलामी धनराशि में शामिल नहीं मानी जायेगी।
7. ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को पर्किग स्थल पूर्ण रूप से अथवा इसके किसी अंश को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तानान्तरित करने अथवा सब–लीज करने का अधिकार नहीं होगा।
8. पार्किग संचालन करने वाले ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता पार्किग के मूलरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगे तथा पार्किग में किसी भी प्रकार की टूट–फूट आदि के लिए ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। पार्किग में स्थापित समस्त उपकरणों/फिटिंग्स के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत ठेकेदार/संस्था को स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
9. पार्किग संचालन में उपयोग होने वाली बिजली के विद्युत बिल का भुगतान ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को प्राधिकरण के पक्ष में अथवा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पक्ष में (जैसी भी स्थिति हो) प्रत्येक माह करना होगा।
10. पार्किग में हथियार के साथ प्रवेश एवं धूमपान वर्जित होगा। इसके सम्बन्ध में आवश्यक सूचना पट ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को लगाना होगा। **"हथियार सहित प्रवेश वर्जित है" एवं धूमपान वर्जित है"**
11. ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को पार्किग स्थल पर अनुमोदित पार्किग दरों को प्रदर्शित करने हेतु सूचना बोर्ड स्थापित करना होगा। पार्किग परिसर की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी गार्ड, पार्किग शुल्क की वसूली हेतु कार्मिक एवं प्रतिदिन पार्किग स्थल की सफाई व्यवस्था हेतु अनुरक्षण कर्मचारियों पर होने वाला समस्त व्यय ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।

12. ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता को पर्किंग स्थल पर स्वयं निगरानी की व्यवस्था करनी होगी। यदि पार्किंग स्थल से कोई वाहन चोरी होता है अथवा क्षतिग्रस्त होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता की होगी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
13. पार्किंग स्थल पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों एवं अराजक तत्वों को रोकने की जिम्मेदारी ठेकेदार/उच्चतम बोलीदाता की होगी।
14. अनुबन्ध पत्र में शर्तो का पालन न करने व अन्य किसी अनियमितता की दशा में किसी भी समय बिना नोटिस के अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार प्रयागराज विकास प्राधिकरण का होगा।
15. प्राधिकरण कोष में जमा की जाने वाली समस्त धनराशि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खाता संख्या–00320204000449 यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज आई0एफ0एस0सी0 कोड UCBA0000032 में निर्धारित समयानुसार जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
16. ठेकेदार द्वारा प्रश्नगत वाहन स्टैण्ड के ठेके में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के सत्यता का सत्यापन प्राधिकरण अपने स्तर से करायेगा। यदि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अभिलेख असत्य, फर्जी व कूटरचित पाया जाता है तो प्राधिकरण सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसका ठेका निरस्त कर उसे ब्लैक लिस्टेट कर दिया जायेगा।
17. वाहन स्टैण्ड के ठेके में ठेकेदार द्वारा स्वयं सम्बन्धित कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे। किसी एजेण्ट अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
18. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड व हस्ताक्षर का सत्यापन अपने बैकर से ई.के.वाई.सी. जो सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित हो, प्राप्त करके प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत कराना होगा।
19. यह कि प्रश्नगत वाहन स्टैण्ड में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के साथ यदि जान–माल की कोई अप्रिय घटना उनके साथ घटित होती है, तो उसके क्षतिपूर्ति/दावा की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति/दावा से प्राधिकरण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा।
20. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार असफल बोलीदाताओं की पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी।
21. नीलामी में सफल (उच्चतम) बोलीदाता द्वारा सक्षम स्तर से नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह में पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त वांछित 40% की अवशेष धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा न करने पर पंजीकरण शुल्क की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
22. अवशेष 60% की धनराशि कार्यादेश निर्गत/प्राप्त होने की तिथि से 04 समान त्रैमासिक किश्तों में जमा करना होगा। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय वर्ष में बिन्दु–2 के अनुसार आंकलित धनराशि की 60% धनराशि 04 समान त्रैमासिक किश्तों में जमा करना होगा। उक्त नियत समयावधि में सम्पूर्ण धनराशि न जमा करने पर 40% जमा धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
23. प्राधिकरण/शासन द्वारा समय–समय पर लागू समस्त नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
24. उच्चतम बोलीदाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवाय्र होगा। जी0एस0टी0 का भुगतान फर्म द्वारा नियमानुसार स्वयं के द्वारा की जायेगी। इसके लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
25. उच्चतम बोलीदाता (नीलामी में सफल बोलीदाता) द्वारा वाहन स्टैण्ड में लगाये गये कार्मिकों का EPFO में पंजीकरण कराते हुए उनका विवरण EPFO पोर्टल पर अपलोड कराकर उनके E.P.F. & E.S.I.C. का भुगतान करना होगा, जिसकी रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
26. विवाद की स्थिति में मामले का निस्तारण प्रयागराज जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
27. बोली न्यूनतम आरक्षित दर के आधार पर की जायेगी तथा प्रत्येक बोली का न्यूनतम अन्तर रू0 1,000/– होगा।

28. नीलामी को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है।

29. प्राधिकरण की वेबसाइट www.pdaprayagraj.in पर उपलब्ध पंजीकरण फार्म पंजीकरण अवधि में डाउनलोड किया जा सकता है अथवा प्रभारी अधिकारी–अनुरक्षण कार्यालय से पंजीकरण फार्म क्रय किया जा सकता है। पंजीकरण फार्म हेतु निविदा मूल्य रू0 5900.00 मात्र (जी0एस0टी0 सहित) प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा, अन्यथा पंजीकरण मान्य नहीं होगा।

30. बोलीदाता को पंजीकरण के समय पंजीकरण प्रपत्र के साथ जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (T-4) संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा नीलामी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

31. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के वाहनों में पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा अर्थात् इनसे ठेकेदार कोई धनराशि नहीं वसूल करेगा तथा दिव्यांगजन को वाहन पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल पर स्थान सुरक्षित रखना होगा। ऐसे समस्त वाहनों को निःशुल्क का टोकन ठेकेदार को जारी करना होगा।

32. इन्दिरा भवन में पार्किंग में वाहन पार्किंग हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् हैः–

(क) साइकिल	–	रू0	5.00 प्रति चार घण्टा
(ख) स्कूटर/मोटर साइकिल	–	रू0	15.00 प्रति चार घण्टा
(ग) कार एवं चार पहिया वाहन	–	रू0	30.00 प्रति चार घण्टा

33. इन्दिरा भवन परिसर में आगन्तुकों के रूप में आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार के शासकीय वाहन एवं माननीय न्यायमूर्ति के वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

34. इन्दिरा भवन स्थित अन्य विभाग के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दुकानदारों के वाहनों हेतु निर्धारित मासिक वाहन स्टैण्ड शुल्क लिया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(क) साइकिल	–	रू0	200.00 प्रतिमाह
(ख) स्कूटर/मोटर साइकिल	–	रू0	600.00 प्रतिमाह
(ग) कार एवं चार पहिया वाहन	–	रू0	1000.00 प्रतिमाह

35. तीन वर्षीय ठेके हेतु आंकलित धनराशि पर आयकर प्राविधान के अनुसार 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 शुल्क (टैक्स कलेक्शन एडसोर्स) एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

अन्य नियम व शर्ते

1. प्राधिकरण द्वारा इंगित/चिन्हित स्थल पर ही पर्किग की अनुमन्यता होगी। सेट बैंक में किसी भी प्रकार की पार्किंग निषिद्ध होगी।
2. वाहन पार्किग ठेके में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क वसूली का अधिकार ठेकेदार को होगा।
3. पार्किंग स्थल का ठेका प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रभावी होगा। इस अवधि के बाद सम्बन्धित स्थलों पर किसी प्रकार का कब्जा या उपयोग अवैध माना जायेगा। इस सूचना को भी सूचनापट पर लिखना होगा।
4. पार्किंग स्थलों के ठेकेदारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार कूपन स्वयं के व्यय पर छपवायेगा। प्रत्येक कूपन पर टोकन नम्बर, ठेका स्थल की सीमा, ठेकेदार का नाम/पता/फोन नं0/पार्किंग की दरें, प्रत्येक का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
5. ठेका अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार का कब्जा स्वतः समाप्त हो जायेगा। ठेकेदार को ठेका स्थल पर अपने व्यय से 4 x 2 फिट का सूचनापट जिस पर ठेकेदार का नाम व पता एवं दर की सूची अंकित हो, लगवाना होगा एवं इसकी देख–रेख व सुरक्षा स्वयं करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा यदि ठेके को निर्धारित अवधि में छोड़ दिया जाता है तो जमा धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेंगी।
7. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही बॉस, टट्टर अथवा अन्य प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
8. वाहन स्वामी द्वारा 04 घण्टे के अन्दर यदि वाहन कई बार पार्क किया जायेगा तो उससे ठेकेदार द्वारा शुल्क एक बार ही लिया जायेगा।
9. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार वाहन एक कतार/लाईन में खड़ा करवाया जाना होगा। बीच में स्पेस देना अनिवार्य होगा जिससे वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन को आसानी से निकाला जा सके।
10. ठेकेदार द्वारा नीलामी के शर्तो को पूरा न करने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
11. प्रयागराज विकास प्राधिकरण/पुलिस या मा0 न्यायालय के आदेश द्वारा ठेकेदारी क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये प्रयागराज विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। यह प्रक्रिया दैविक आपदा, दंगा/कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण ठेका बन्द रहने पर जो क्षति होगी, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
12. ठेकेदार और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन के क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा। ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी क्षेत्र में किसी से भी अभद्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। वाहन खोने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।
13. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में प्रयागराज विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के ठेका निरस्त कर दे तथा ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ले।